



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2016/चैत्र 30, 1938

No. 271]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2016/CHAITRA 30, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 427(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 के हिन्दी पाठ की दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं.	मामले, जिन पर फीस संदेय है	फीस की रकम	प्ररूप संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
“9	नवीकरण फीस	किसान — शून्य व्यष्टिक — 7,000/- रुपए शैक्षणिक — 10,000/- रुपए वाणिज्यिक — 80,000/- रुपए प्रतिवर्ष	पीवी6”

[फा. सं. 1-24/2012-एसडी.वी.]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 738(अ), तारीख 12 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए

गए:—(i) सा.का.नि. सं. 843(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2004, (ii) सा.का.नि. सं. 731(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2008, (iii) सा.का.नि. सं. 319(अ), तारीख 11 मई, 2009, (iv) सा.का.नि. सं. 783(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2009, (v) सा.का.नि. सं. 901(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2009, (vi) सा.का.नि. सं. 949(अ), तारीख 3 दिसंबर 2010, (vii) सा.का.नि. सं. 900(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2012, (viii) सा.का.नि. सं. 901(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2012, (ix) सा.का.नि. सं. 902(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2012, (x) सा.का.नि. सं. 115(अ), तारीख 20 फरवरी, 2013, (xi) सा.का.नि. सं. 494(अ), तारीख 16 जून 2015।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Coorperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2016

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (xxv) of sub-section (2) of Section 96 of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These Rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2016.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In column No. 3 against Serial No. 9 in the Second Schedule of Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Rules, 2003—
 (a) In Hindi Version “**Commercial Fee - Rs. 80,000/-**” shall be substituted.
 (b) “**Farmers – Nil**” shall be inserted.

[F. No. 1-24/2012-SD.V]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 738(E), dated the 12th September, 2003 and subsequently amended by the following numbers:—(i) G.S.R. 843(E), dated the 30th December, 2004, (ii) G.S.R. 731(E), dated the 14th October, 2008, (iii) G.S.R. 319(E) dated the 11th May, 2009, (iv) G.S.R. 783(E) dated the 27th October, 2009, (v) G.S.R. 901(E) dated the 17th December, 2009 (vi) G.S.R. 949(E) dated the 3rd December, 2010 (vii) G.S.R. 900(E) dated the 17th December, 2012 (viii) G.S.R. 901(E) dated the 17th December, 2012 (ix) G.S.R. 902(E) dated the 17th December, 2012 (x) G.S.R. 115(E) dated the 20th February, 2013 and (xi) G.S.R. 494(E) dated the 15th June, 2015.